भी नहीं ली जायें। इस राष्ट्रीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर हल निकाला जाय।"

(iv) WIDE SPREAD INCIDENCE OF MALARIA IN DELHI

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मलेरिया जैसा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है तथा जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दिल्ली के अधिकांश भाग प्रभावित होने की सम्भावना बढ़ गई है, इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्थिति यह है कि गत वर्ष मलेरिया रोगियों की संख्या लगभग 5,390 थी, जब कि इसी अवधि में अर्थात् 15 अप्रैल तक इस बार लगभग 34,000 लोग मलेरिया से पीड़ित दर्ज किए गये। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बार मलेरिया में 6, 7 गुना वृद्धि हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजधानी के अन्दर मच्छरों की वृद्धि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा विभिन्न ठेकेदार जिम्मेदार हैं। राजधानी में चल रही गन्दगी को समाप्त करने के लिए तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जो निजी कोठियां हैं या सरकारी कोठियां हैं उनमें काफ़ी तादाद में पशु रखे जाते हैं, उनके सेनीटेशन की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डी० डी० टी० तथा अन्य दवाओं का छिड़काव करने के लिये कोई भी प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा रहा है जिससे कि मच्छर मरें। यहां तक पता चला है कि जैसा कि "नवभारत टाइम्स" में छपा है कि गत नवम्बर को महापौर के आदेश से इस विभाग के सिविल लाइन्स क्षेत्र कार्यालय पर मारे गये छापे से पता चला था विभाग के आधे कर्मचारी उस दिन छुट्टी पर थे, लेकिन रजिस्टरों में उनके नामों के आगे उस दिन छिड़कने के लिए दिया गया तेल दर्ज था। इस से पता चलता है कि सारे मामले में काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यदि इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो अगले दिनों में काफ़ी मलेरिया केसेज बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि अस्पतालों के अन्दर उनकी भारी भीड़ लगेगी। इसी समाचार के अनुसार जो संख्या आंकी गई है उस हिसाब से वर्ष के अन्त तक अस्पताल में जाने वालों की संख्या, रोगियों की संख्या गढ़े ग्यारह लाख तक पहुंच जायेगी। यह एक भयावह स्थिति का संकेत है।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सदन को भी अवगत करायेंगे।

(v) REPORTED ATTEMPT BY SUPPORTERS OF THE FORMER PRIME MINISTER TO DISTURB COURT PROCEEDINGS

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत ही लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूं।

महोदय, दिनांक 18 अप्रैल को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चीफ़ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, श्री पी० के० जैन के न्यायालय के समक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाजिर होने के समय उनके समर्थकों ने संगठित रूप से न्यायालय में घुसने तथा न्यायालय के काम में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जिसके रोकने पर तैनात पुलिस पर लाठी पत्थर तथा अन्य हथियारों से हमला किया गया। ये लोग हाथ में तख्ती लिए हुए चौधरी चरण सिंह और वस्टिम शाह के विरुद्ध अपमानजनक नारे लगाते रहे। इतना ही नहीं इन्होंने पुलिस कार्डन तोड़कर न्यायालय में घुसने का प्रयास किया और हंगामे के साथ न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया। इसी प्रकार की घटना "किस्सा कुर्सी का" फ़िल्म के मामले में चल रही कार्यवाही के